

## उत्तराखण्ड शासन

### वित्त अनुभाग-9

#### अधिसूचना

25 जनवरी, 2007 ई0

संख्या 20/XXVII(9)/स्टाम्प/2007-चूकि, राज्यपाल का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतः भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन अधिसूचना संख्या-62/XXVII(9)/(06/स्टाम्प-विधि)/05/2006, दिनांक 13-02-2006 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना में निहित उद्देश्य के लिये दिनांक 31-12-2006 से दिनांक 30-12-2007 तक रुपये 3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र) तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,  
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 10-02-2007, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 वित्त/77-10-02-2007-200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।